E ... NO 915902
DATE 7.9.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(252)ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / क्यूसी / 2015–16 दिनांक 1 सितम्बर, 2015

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये गये / प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निरीक्षण कर गुणवत्ता जॉच आदि एवं आवास योजनान्तर्गत निर्मित कराये गये / प्रगतिरत कार्यों के भौतिक सत्यापन आदि कार्य सम्पादन हेतु मानदेय एवं प्रक्रिया आदि के निर्धारण बाबत् एवं राज्य के अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों की भूमिका के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2015 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति सम्भागियों का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में चर्चा के दौरान लिये गये निर्णय / निर्देश निम्नानुसार है :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करने के क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये गये / प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निरीक्षण कर गुणवत्ता जॉच आदि एवं आवास योजनान्तर्गत निर्मित कराये गये / प्रगतिरत कार्यों के भौतिक सत्यापन आदि के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया।
2. सभी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों से विभाग कार्यों का निरीक्षण करने व गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करने हेतु मानदेय व शर्तों आदि सम्बन्धी प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।
3. कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहन की व्यवस्था निरीक्षणकर्ता / संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी, जिसका भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार बिल / क्लेम के समय किया जावेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. PS आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. श्री उज्जवल राठौर, संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
6. श्री सिरमोर मीना, वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
7. श्री सी. एल. वर्मा, परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.) सूचनार्थ एवं website पर upload करें
8. श्री विजय कुमार चौधरी, पीडी कम डीएस (एसएपी–II), ग्रावि।
9. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो), पंचायती राज।
10. श्री राजेश शर्मा, परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रावि।
11. श्री कैलाश चन्द्र कलाकार, (ईओ) (मो. एवं मू.)।
12. श्री अरविन्द सक्सैना, अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस)।
13. डॉ ए.के. द्विवेदी, प्रोफेसर (सिविल) एण्ड डीन, राजस्थान टैक्नीकल यूनिवर्सीटी, कोटा।
14. श्री डी. के. यादव, संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर।
15. श्री संजय ए पुजारी, निदेशक, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, कुकस, जयपुर।
16. श्री अनिरूद्ध माथुर, वरिष्ठ प्राध्यापक, एसकेआईटी, जयपुर।
17. श्री पंकज गुप्ता, प्राध्यापक, एसकेआईटी, जयपुर।
18. श्री राकेश कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक।
19. श्री आयुष शर्मा, महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी।
20. श्री दिनेश स्वामी, सहायक प्राध्यापक, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)